

झारखण्ड सरकार  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

!! अधिसूचना !!

अधिसूचना संख्या-13/नि0वि0-(स्टाम्प)-18/17-

रांची, दिनांक:-

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 एवं उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बैंको से ऋण प्राप्ति हेतु एकरारनामा पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के शेड्यूल 1A की कंडिका 5 (C) के अन्तर्गत प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से विमुक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
(कमल किशोर सोन)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-.....

रांची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-.....587/17

रांची, दिनांक:-17-7-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक/ महाप्रबंधक, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव